



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, 5 अगस्त, 2026

श्रावण 14, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग,

लखनऊ

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव प्रयोक्ताओं का सत्यापन)
(निरसन) विनियमावली, 2026

अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सचिव/विनियम/2026-018

लखनऊ, 5 अगस्त, 2026

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ करने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव प्रयोक्ताओं का सत्यापन) विनियमावली, 2022 बनायी है, जो अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सचिव/विनियम/2022/644, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे;

और चूँकि, केन्द्रीय सरकार ने विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 [सा0का0नि0 186(अ), दिनांक 13 मार्च, 2026] अधिसूचित किए हैं, जिनके द्वारा विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 को कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों को शासित करने वाले विस्तृत प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया गया है—जिनमें “कैप्टिव प्रयोक्ता” की विस्तारित परिभाषा (ऊर्जा भंडारण प्रणाली के माध्यम से खपत सहित), “स्वामित्व” (समूह संस्थाओं सहित), विशेष प्रयोजन साधनों (एस0पी0वी0) को व्यक्तियों के संघ (ए0ओ0पी0) के रूप में मानने, व्यक्तियों के संघ में सम्मिलित प्रत्येक कैप्टिव प्रयोक्ता के लिए आनुपातिक खपत की सीमा तथा राज्य द्वारा नामित नोडल अभिकरण के माध्यम से सत्यापन के तंत्र से सम्बन्धित प्रावधान सम्मिलित हैं;

और चूँकि, नये नियम 3 के उपनियम (4) के खण्ड (क) के अन्तर्गत, राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह राज्य के भीतर स्थित विद्युत संयंत्रों की कैप्टिव स्थिति के सत्यापन हेतु एक नोडल अभिकरण नामित करे तथा सत्यापन की प्रक्रिया जारी करे, जिसमें उन कैप्टिव प्रयोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप सम्मिलित हो जो क्रॉस-सब्सिडी अधिभार से अन्तरिम संरक्षण चाहते हैं;

और चूँकि, नये नियम 3 के उपनियम (4) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत, राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वह नोडल अभिकरण के सत्यापन-सम्बन्धी निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन करे;

और चूँकि, संशोधित नियम दिनांक 13 मार्च, 2026 से प्रवृत्त हो चुके हैं, तथापि नियम 3 के उपनियम (2)(घ)(ii) एवं (iii) तथा उपनियम (4) दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे तथा उन्हें अंगीकार करना और उत्तर प्रदेश राज्य में तदनु रूप परिणामी निर्देश जारी करना आवश्यक है;

अतः, विद्युत नियम, 2005 में उपर्युक्त संशोधन के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे समर्थ करने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव प्रयोक्ताओं का सत्यापन) विनियमावली, 2022 को निरसित करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

1-संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ-

(1) यह विनियमावली उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव प्रयोक्ताओं का सत्यापन)(निरसन) विनियमावली, 2026 कहलाएगी।

(2) ये विनियमावली दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होगी।

2-निरसन-

इस विनियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव प्रयोक्ताओं का सत्यापन) विनियमावली, 2022 निरसित हो जाएगी।

3-व्यावृत्तियाँ-

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव प्रयोक्ताओं का सत्यापन) विनियमावली, 2022 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनियमावली" कहा जाएगा) का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा:-

(क) उक्त विनियमावली के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव प्रयोक्ताओं का सत्यापन;

(ख) निरसन के प्रभाव के सम्बन्ध में साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 का प्रयोग।

आयोग के आदेश से,
सुमीत कुमार अग्रवाल,
सचिव।

UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION,
LUCKNOW

UPERC (Verification of Generating Plants and Captive Consumers) (Repeal) Regulations, 2026

Notification No. UPERC/SECY/REGULATION/2026-018

Dated Lucknow, August 5, 2026

IN exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 181, read with Section 9 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission has made the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Verification of Generating Plants and Captive Consumers) Regulations, 2022, which were published *vide* Notification no. UPERC/Secy./Regulation/2022/644 dated December 26, 2022.

AND, WHEREAS, the Central Government has notified the Electricity (Amendment) Rules, 2026 [G.S.R. 186(E) dated March 13, 2026], substituting Rule 3 of the Electricity Rules, 2005 with comprehensive provisions governing Captive Generating Plants — including expanded definitions of "captive user" (encompassing consumption through Energy Storage Systems), "ownership" (including group entities), treatment of Special Purpose Vehicles (SPVs) as Association of Persons (AoP), proportionate consumption limits for individual captive users in an AoP, and a verification mechanism through a State-designated Nodal Agency;

AND, WHEREAS, under the new Rule 3(4)(a), the State Government is required to designate a nodal agency to verify the captive status of intra-State power plants and to issue the procedure for such verification, including the format for declarations by captive users seeking interim protection from cross-subsidy surcharge;

AND, WHEREAS, under the new Rule 3(4)(b), the State Government is required to constitute a Grievance Redressal Committee (GRC) to hear appeals against verification decisions of the Nodal Agency;

AND, WHEREAS, the amended Rules have come into force on March 13, 2026, except sub-rule (2)(d)(ii), (iii), and sub-rule (4) of Rule 3, which shall take effect from April 1, 2026, and it is necessary to adopt the same and issue consequential directions in the State of Uttar Pradesh;

In view of the above amendment in the Electricity Rules, 2005, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission now in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 181, *read* with Section 9 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, hereby makes the following Regulations to repeal the UPERC (Verification of Generating Plants and Captive Consumers) Regulations, 2022:-

1. Short title and commencement-

(i) These Regulations may be called Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Verification of Generating Plants and Captive Consumers)(Repeal) Regulations, 2026.

(ii) These Regulations shall be applicable from April 1, 2026.

2. Repeal-

On and from the date of the applicability of these Regulations, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Verification of Generating Plants and Captive Consumers) Regulations, 2022 shall stand repealed.

3. Savings-

The repeal of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Verification of Generating Plants and Captive Consumers) Regulations, 2022 (hereinafter to be referred as "said Regulations") shall not affect:-

(i) The verification of Generating Plants and Captive Consumers in the State of Uttar Pradesh till the financial year ending March 31, 2026 in accordance with said Regulations;

(ii) Application of Section 6 of General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) with regard to the effect of repeal.

By order of the Commission,
SUMEET KUMAR AGARWAL,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 472 राजपत्र-2026-(1158)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० ऊर्जा-2026-(1159)-50+500=550 प्रतियां (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।